समाचार-प्रकाशनार्थ:-

संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक समस्या का निराकरण त्वरित हो

कलेक्टर ने जन शकायत निवारण श वर में 32 आवेदकों की समस्याओं पर कार्रवाई के दिए निर्देश

रतलाम 04 सतम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ नगर निगम सभागृह में शाम 4ः00 से 5ः00 बजे जन शकायत निवारण श वर में 32 आवेदकों की समस्याएं सुनी।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम में जन शकायत निवारण श वर के दौरान निगम के वभाग प्रमुखों को निर्दे शत कया क श वर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर मानवीयता के आधार पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए तथा आवेदकों को उस कार्रवाई से अवगत भी करवाया जाए। श वर में 32 आवेदकों ने व भन्न समस्याओं को लेकर अपने आवेदन दिए जिनके निराकरण के लए कलेक्टर ने संबं धत शाखा प्रभारियों को निर्देश दिए।

जन शकायत निवारण श वर में सैनिक कॉलोनी रतलाम के बलराम प्रजापत ने आवेदन दिया क उनके स्वा मत्व का मकान सैनिक कॉलोनी में स्थित है जिसके नामांतरण के लए आवेदन पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत कया जा चुका है परंतु कई चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक भवन का नामांतरण नहीं हुआ है। आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही के लए संबं धत शाखा को निर्दे शत कया गया। धानमंडी के दिलीप कुमार अग्रवाल ने आवेदन दिया क उनके मोहल्ला धानमंडी स्थित दो पृथक-पृथक भवनों के लए संयुक्त निर्माण अनुज्ञा प्राप्त की गई है तथा उक्त निर्माण अनुज्ञा का उल्लंघन करते हुए वपरीत निर्माण कया जा रहा है और व्यक्ति द्वारा खुले रुप में निगम के सटी इंजीनियर तथा अन्य अ धकारियों से बातचीत हो जाना दर्शाकर मौके पर निरंतर अवैध निर्माण करवाता आ रहा है और धोंस दे रहा है चाहे कतनी भी शकायत कर दोए उसके द्वारा करवाए जा रहे निर्माण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं

होना है। मौके पर निरंतर चल रहे अवैध निर्माण की जानकारी सटी इंजीनियर तथा अन्य अ धकारियों को होने के उपरांत भी ना तो अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है और ना ही अवैध निर्माण रुकवाने बाबत कोई प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आवेदन पर कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

हठीराम दरवाजा के रामचंद्र परमारए आनंदीलाल गुग लया ने आवेदन दिया क मोहन टॉकीज के पास स्थित समता परिसर में बाहर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है और गेट के बाहर ढलान भी है। इस ढलान पर नगर निगम द्वारा 1 सप्ताह पहले एक स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है जिससे वाहन गर सकते हैं और कसी के भी चोट लग सकती है। गली के एक अन्य व्यक्ति द्वारा नाली पर स्टेप बनाकर रास्ते को और संकरा कर दिया है अतः स्पीड ब्रेकर तथा नाली पर नि र्मत स्टेप को तुरंत हटाया जाए। आवेदन पर पीडब्ल्यूडी शाखा को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अलकापुरी के वजय संह भाटी ने उनके घर के सामने का चेंबर सफाई के लए आवेदन दिया। इसी प्रकार लक्कड़पीठा मेन रोड पर सरकारी नल के दुरुपयोग करनेए गंदगी और कीचड़ करने की शकायत का आवेदन श्री शब्बीर काप ड़या तथा अन्य द्वारा दिया गया जिसके निराकरण के लए अतिक्रमण शाखा को निर्दे शत कया गया।

इसके अलावा ईदगाह रोड बाजना बस स्टैंड के बसंतीलाल पता नानालाल द्वारा आवेदन दिया गया क उनके भूखंड की रा श एवं संपूर्ण टैक्स जमा कर रजिस्ट्री पत्र बनवाया जाए। सभी आवेदनों पर कलेक्टर ने निगम की संब धत शाखाओं को समय सीमा में निराकरण के लए निर्दे शत कया।

शहर सराय एवं धानमंडी क्षेत्र के नागरिकों ने क्षेत्र में सु वधाघर बनाने संबंधी आवेदन दिया। नागरिकों ने बताया क कुछ वर्षों पहले तक यहां सु वधाघर बना हुआ था मगर अब सु वधाघर नहीं है। इससे शहर सराय के दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने क्षेत्र में सुलभ कांपलेक्स इस चौराहे पर बनाए जाने संबंधी निवेदन कया। इस संबंध में संब धत वभाग को कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए।

रामदेव जीकी घाटी निवासी संजय चौहान ने देवरा देवनारायण योजना में प्लाट की रजिस्ट्री संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने कहा क वर्ष 1991.92 में नगर सुधार न्यास द्वारा देवरा देवनारायण योजना क्रमांक 55 में प्लाट लया था। इसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं करवाई गई है। कलेक्टर ने संबंध में वकास शाखा प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। सूरजमल जैन नगर के रहवा सयों ने आवेदन में कहा क क्षेत्र में सड़कें खोजने के बाद मरम्मत कार्य नहीं कया गयाए इस कारण ना लयों से पानी बाहर निकल रहा है और बीमारियों फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इस संबंध में स्वास्थ्य प्रभारी को कारवाई करने के निर्देश दिए गए।

अवैध निर्माण करने एवं एमओएस नहीं छोड़ने संबंधी आवेदन देते हुए रतलाम निवासी गोवर्धन लोहिया ने कहा क उनके निजी मकान के समीप अवैध निर्माण कार्य कया जा रहा है। यहां अवैध निर्माण को तुरंत तुड़वाने एवं एमओएस का पालन करवाने संबंधी कार्यवाही की जाए। इस संबंध में संब धत शाखा को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सैनिक कॉलोनी निवासी सीताबाई प्रजापत में कहा क सैनिक कॉलोनी योजना क्रमांक 30 में उनके मकान का नामांतरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में उन्होंने आवेदन भी दिया हुआ हैए जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नामांतरण के लए पछले कई वर्षों से वह चक्कर लगा रही हैं। कलेक्टर ने सटी इंजीनियर को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

सलावटों का वास निवासी संगीता राव ने अपने आवेदन में अपने अ धपत्र के भूखंड पर प ा जारी करने तथा वहां कए गए अतिक्रमण को हटाना संबंधी आवेदन दिया। वहीं शक्तिनगर निवासी रेखा आचार्य ने मकान निर्माण के दौरान पड़ोसी द्वारा अवैध निर्माण करवाने संबंधी शकायत की। उन्होंने अवैध निर्माण छुड़वाने तथा की मांग की। इस संबंध में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने संबंधी निर्देश संब धत शाखा को दिया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के.

जायसवालए मोहम्मद हनीफ शेखए सहायक यंत्री श्री एम.के.जैनए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए श्री बी.एल. चौधरीए राजेश पाटीदारए मनीष तिवारीए वकास मरकामए समग्र सामाजिक सुरक्षा वस्तार अ धकारी आयुषी पालीवालए लेखापाल श्री जगदीश पांचालए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े सहित निगम के व भन्न वभागों के अ धकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

गाय व अन्य पषुओं के तबेले व बाड़े 3 दिवस में स्वंय हटा लेवें
समयाव ध पष्चात नगर निगम द्वारा तोड़े जायेंगे तबेले व बाड़े
वसूल की जायेगी 15 हजार रूपये प्रति घंटा के मान से तोड़ने की रा ष

रतलाम 4 सतम्बर । रतलाम शहर में गाय व अन्य मवे शयों के बाड़े एवं तबेले मवेशी पालक द्वारा 7 सतम्बर मंगलवार तक हटाने के निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम ने गवली समाज व अन्य पशु पालकों को दिये।
नगर निगम सभागृह में 04 सतम्बर शनिवार को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम द्वारा नागरिकों नगर निगम से संब धत शकायतें सुनने व निराकरण करने के दौरान गवली समाज व अन्य पशु पालकों द्वारा अपने बाड़े व तबेले स्वंय तोड़े जाने हेतु समय की मांग कये जाने पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने उन्हे 3 दिवस का समय दिया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते है जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव कया जा रहा है साथ ही निगम एक्ट के वरूद्ध शहर में संचा लत गायए भैंसए सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी

पालकों के अनुरोध पर उन्हे तीन दिवस का समय दिया गया है नियत समयाव ध में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वंय नहीं हटाते है तो उन्हे नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रूपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की रा श वसूल की जावेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

4 सतम्बर को 48 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 04 सतम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 04 सतम्बर शनिवार को 48 टन कचरा जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

04 सतम्बर शनिवार को डम्पर से 19420ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 24805ए काम्पेक्टर गीला 3970ए मैजिक 755 कलो इस तरह कुल 48950 कलो कचरा जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नो पा कंग मंे खड़े 2 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 04 सतम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो क अपने वाहनों को नो पा कंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बा धत करते हैए उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 04 सतम्बर शनिवार को नो पा कंग में खड़े 2 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबं धतों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 04 सतम्बर शनिवार को चांदनी चौक क्षेत्र में नो पा कंग में वाहन खड़ा करने पर अनिल-गोपाल जाट रतलाम व रमेशचन्द्र-गंगाराम चौहान इंदौर पर 200.200 रूपये का जुर्माना कया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 04 सतम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबं धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 04 सतम्बर को 16 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में कचरा व गंदगी करने पर भैरूलाल महू रोड बस स्टैण्डए रायल घड़ी नौलाईपुराए मुशरफ चांदनी चौक पर 100.100ए भगवान संह पैलेस रोडए कलीमए अशोकए भोलीबाई दो बत्तीए लयाकतए सुनीलए अनिताबाई का लका माताए नेहा न्यू रोडए बगदीबाईए लेखाबाई सैलाना बस स्टैण्डए रमेश सब्जी मण्डीए रमेश व सोना जायसवाल सज्जन मल रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री करण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री वनय चौहान मो.नं. 8770535145ए श्री वराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

12513 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 02 सतम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 04 सतम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 12513 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 04 सतम्बर को तेजा गनर क्षेत्र से 1 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
पथ वक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 04 सतम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु रा श रूपये 10ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द् वतीय कार्यशील पूंजी हेतु रा श रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58

हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ वक्रेताओं से अपील की जाती है क जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी रा श रूपये 10ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द् वतीय कार्यशील पूंजी रा श रूपये 20ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जी वत प्रमाण-पत्र

रतलाम 04 सतम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं वकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जी वत प्रमाण-पत्र लया जावेगा।

नगर पा लक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है क वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जी वत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जी वत प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं कया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 04 सतम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019

संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 सतम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे

प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 सतम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/04ण्09ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.